(339)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(25)नविवि/3/2006

जयपुर, दिनांक: 17 JAN 2014

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4.10.2013 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस. एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में छूट के संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक संबंधित निकाय में प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी होने तथा दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने बाबत आदेश जारी किये गये थे।

चूंकि विभागीय आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 09.01.2014 द्वारा दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक प्रभावी होने तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के दौरान दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2013 की निरन्तरता में अब आवेदक द्वारा दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित निकाय में प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर उक्त छूट दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी तथा दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

[signature] 17/1/14

(उम्मेदराम राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग), राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर.... .... (राजस्थान)।
7. संयुक्त शासन सचिव/अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव नगर सुधार न्यास .... (समस्त) (185)
12. [illegible]